समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांकः 1540/ न0नि0वि0 एवं आ0वि0 दिनांकः 03.05.2012 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में विभागीय आवंटनादेश संख्या 05/न0नि0 एवं आ0वि0 दिनांकः 16.04.2012 द्वारा प्राप्त वित्तीय वर्ष 2012–13 में मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन– उप मुख्य शीर्ष –00 लघु शीर्ष–109– पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिये प्रभार– उप शीर्ष– 0001– नगर निगम, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष 13 01 –कार्यालय व्यय, विपत्र कोड संख्या एन–201500109001 मांग संख्या–48 अन्तर्गत 19,80 लाख एवं विभागीय आवंटनादेश संख्या 07/न0नि0 एवं आ0वि0 दिनांकः 08.05.2012 से 30.50 लाख सहित कुल वित्तीय वर्ष 2012–13 में 50.30 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। इस कार्यालय के ज्ञापांकः 159 दिनांकः 21.04.2012, ज्ञापांकः 176 दिनांकः 25.04.12 एवं ज्ञापांकः 278 दिनांकः 07.05.2012 द्वारा 19.25 लाख रुपये का उपावंटन किया गया है।

नगरपालिका आम चुनाव, 2012 का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर द्वारा मांग प्राप्त हो चुका है और नगर निगम, मुंगेर में मतदान कर्मियों का यात्रा भत्ता का भुगतान जिला पंचायत राज कार्यालय, मुंगेर द्वारा किया गया हैं।

अतः मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए निम्न प्रकार उपलब्ध राशि से उपावंटन की जाती है।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व आवंटित (राशि लाख रुपये में)	वर्त्तमान में आवंटित (राशि लाख रुपये में)	कुल
1	2	3	4	5
1	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर	4.50	1.80	6.30
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर	1.75	0.75	2.50
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	10.00	10.00	20.00
4	उप विकास आयुक्त	3.00	0.00	3.00
5	जिला स्तर पर सुरक्षित	0.55	17.95	18.50
	योगः–	**19.80**	**30.50**	**50.30**

2. मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन– उप मुख्य शीर्ष –00 लघु शीर्ष–109– पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिये प्रभार– उप शीर्ष– 0001– नगर निगम, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष 13 01 –कार्यालय व्यय, विपत्र कोड संख्या एन–201500109001 मांग संख्या–48 (गैर योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांकः एम–4–05/98/2561 वि0(2) दिनांकः 17.04.1998 एवं पत्रांकः 2450 दिनांकः 17.04.1999 एवं पत्रांकः 422 दिनांकः 31.03.2012 के आलोक में निर्गत है।

5. आवंटित राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार, मुंगेर से चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में की जायेगी। यह राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगा। किसी भी परिस्थिति में

ःचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

6. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत् क्रय समिति कर अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

7. राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर नहीं की जायेगी। यदि ए0सी0 विपत्र पर निकासी निर्वाचन कार्य हेतु अपरिहार्य हो तभी ए0सी0 विपत्र पर निकासी की जा सकेगी। किन्तु उसका डी0सी0 विपत्र शीघ्र तैयार कर महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी सूचना नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाए। साथ ही अधोहस्ताक्षरी को भी कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाय।

8. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांकः 31.03.2013 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की होगी।

9. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी के द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका)
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 710 /नि0, दिनांकः 14/06/12

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, मुंगेर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर/हवेली खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका), मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड करते हेतु प्रेषित।

13/06/12

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका)
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।